

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

①

आदेश पत्रक - ता० प्रदीप यादव बतास से काबल साव वकील तक

जिला - बालूमाथ, जिला - लातेहार वाद सं०- 45 / 2022-23

आदेश का प्रकार- विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>12-11-2022</p>	<p>आवेदक प्रदीप यादव पिता वकील यादव ग्राम - लोहा थाता - बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मीना - जरी के 65 खाता न० 01 प्लॉट न० 321 मेरे पूजा के नाम दर्ज है जिसका हल सर्व खाता न० 57 प्लॉट न० 811 रकबा 1650 खाता न० 59 प्लॉट न० 811/1304 रकबा 6750 बना है, जो बना साव पिता खेत साव दर्ज से गया है। जिसके विवाद उत्पन्न हो गया है। हल सर्व में इस गड़बड़ी से सुधार पर कर लगाना सहित निर्णय करने के आदेश में वाह की शर्त है। प्रारंभ की जाती - है। समय पर से नोटिस निर्णय करे। वाह की कानि निधि से अपने-अपने दावे के समर्थन में राजस्व कार्यालयों के साथ उपस्थित रहे। वाता साव के पुत्र 1. लखन साव 2. उदिका साव 3. सुदेश साव</p>	<p>नामिच प्राप्त किया। वाता साव</p>

आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
-------------------------	--------------------------------	---

<p>क्रमांक 10-2023</p>	<p>प्रतिनिधित्व उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । वाद में आदेश हेतु पूर्व के सचि विचारित थी) प्रथम पक्ष द्वारा प्रतीप गांधी पिता कबिल बाइक आर नगर के पास बताया गया कि मीठा-खीर 05 जमा नं 01 लॉटर 321 में से से पूर्व के इस प्रयत्न के और कोड एवं दस्तावेज रहे हैं। इसका 15 जमा 57 लॉटर 311 रकम 1650, 15 जमा 59 लॉटर 811 1304 जमा 67 010 रकम है। ये आंक साब के पिता विद्वान साय के नाम के दर्ज पाया गया। प्रथम पक्ष का एक कक्ष लगान रजिस्ट्रार विगत हेतु निवेदन किया गया। साक्ष्य रूप में उन्हे इस आंक लॉटर नमूना शिफ्ट उभय पक्षों के 129/1990 उपस्थित कलाप गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा के इस बताया गया कि उपरोक्त सचि कलाप कलाप के इस के रजिस्ट्रार</p>	<p>3</p>
----------------------------	---	----------

आदेश की
क्र०सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

10

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

1

2

3

वत्स शर्मा प्रथम पक्षकार से जीविका में आते
हैं। कृषिगत से रु. 5 लाख के खेतों का ही धर्म
रुका है। हमलोग अब कुछ और भी
बुझा चाले हैं। प्रथम पक्षकार जोड़ने
कागि मही के हैं।

उक्त पक्षकार से वत्स शर्मा
राजस्व इन्सुरी के अन्तर्गत कागि के पर्याप्त
में वत्स शर्मा पर पड़ना है कि, मीठा नदी
के लक्ष्य 01 लक्ष्य 32 पर प्रथम
पक्षकार का आदेश के ही जोड़ने के
द्वारा रहा है। राजस्व का के लक्ष्य
कागि वत्स शर्मा से प्रथम पक्षकार के
द्वारा के विनिर्दिष्ट किया गया है।

राजस्व क्रेयानि से कागि शर्मा के लक्ष्य है
कि प्रथम के ही प्रथम पक्षकार प्रदीप शर्मा
कागि का जोड़ने कागि है।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

11

3

आदेश की सं० और तारीख

1

2

आदेश

विहीन पत्राचार के द्वारा १९ लाख के एक इन्वेंट्री की शक्ति के द्वारा लागू होने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया लक्षित विभाग के प्रशासनिक विवरण सही-सुविधपूर्ण है। एवं नि-लेख का लक्ष्य का निर्देश प्राप्त है। इसका अर्थ-के अन्तर्गत पर भूमि क्षेत्रों पर हस्तक्षेप का निर्णय लेना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के अन्तर्गत

साक्ष्य प्राप्त प्रतिक्रिया के अन्तर्गत में लिए गए निर्णय इत्यादि के आलेख में मीठा अर्थात् ८९ लाख ०१ लाख ३२१ १९ लाख ३७ लाख ३११, लाख ७५९ लाख ३११/१५०४ रुकवा १६ डीलरी एवं ६७ डीलरी कुल ८३ डीलरी का एक ही-विषय प्रमाण पत्राचार का विवरण होता है। राजस्व-कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि प्रमाणित भूमि का पंजी-ग

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>साधनग कर्ज हेतु अग्रतर प्रस्ताव करेंगे। इस आदिप के किसी पक्ष से आपत्ति है। के आदिप के विषय में DCLR के वि अमील दाएर कर करते हैं। आदिप के सभी प्रस्ताव को ध्यान से अवगत करोगे।</p> <p>अमित कुमार अध्यक्ष</p> <p>अमित कुमार अध्यक्ष</p>	

अमित कुमार
अध्यक्ष

अमित कुमार
अध्यक्ष